

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

87-राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष-0135-2745779 E-mail (yamunacircle@gmail.com)

पत्रांक- 473 /12-1, देहरादून, दिनांक, 14 सितम्बर 2022।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तराकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत बनगांव चापड़ा कसलाना मोटरमार्ग के विस्तार कार्य हेतु 7.152 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण का प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/21335/2016

संदर्भ :- आपका पत्रांक 654 /FP/UK/ROAD/21335/2016, दिनांक 04-09-2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव में पाई गयी कमियों का प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग द्वारा निराकरण करते हुये बिन्दुवार आख्या पत्रांक 373/12-1 दिनांक 25.08.2022 से मय अभिलेखों के इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त आख्या मय संस्तुति के मूल में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।



प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com वन मित्र कॉल सेन्टर-9208008000

पत्रांक- 373 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, 25 जून 2022
अज्ञेय

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बनगांव-चोपडा-कसलाना मोटर मार्ग विस्तार कार्य (लम्बाई 5.725 कि०मी०) हेतु 3.735 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० चिन्यालीसौड को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की ई०डी०एस० क्वैरी FP/UK/Road/21335 /2016, दिनांक 06.09.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई०डी०एस० क्वैरी के संबंध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक-278/3एल०ए०, दिनांक 30.03.2022 से निराकरण आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई जो निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र० सं०	आपत्ति	आख्या
1	Still 1.525 ha. Area is mentioned in the FRA certificate, DLC proceedings in the uploaded FRA certificate in para K in Form A Part I	Part I para K में FRA में District level committee meeting में area 1.525 है० को rectify करके 7.152 है० कर दिया गया है।
2	Still total area the CA patches (2.16+7.47=9.63 ha.) not equate 14.30 ha.	Part I के पैरा L में CA की संशोधित KML File अपलोड कर दी गई है।
3	Still not justification is not given for the said query, the certificate should be given by the DFO per mentioned query.	उपयुक्तता प्रमाण पत्र यथा स्थान अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

1.परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या	FP/UK/ROAD/21335/2016
2.परियोजना का नाम	विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत बनगांव-चोपड़ा-कसलाना मोटर मार्ग
3.परियोजना का क्षेत्रफल (अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत)	3.735Ha
4.क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल (अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत)	7.4700
5.प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम	निर्माण एवं लोकिक क्रि. चिन्माली हॉट।
6.वन विभाग का नाम	अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट।

प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नौगांव राजि के अन्तर्गत चयनित सिविल भूमि चोपड़ा खसरा नम्बर 3219 कुल रक्वा 7.470 है0 का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उक्त चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व वास्तव में 0.40 से कम प्रतीत होता है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में 1100 पौध प्रति है0 दर से रोपित हो सकते हैं।

अतः उक्त प्रस्तावित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

30/08/2016
316

(विजयलक्ष्मी)
वीर प्रभासी
स्वास्थ्य

(विजयलक्ष्मी)
वन क्षेत्रीय स्वास्थ्य

(विजयलक्ष्मी)
वन क्षेत्राधिकारी,
नौगांव राजि
बनगांव

(विजयलक्ष्मी)
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट